प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्र. -2014/2006

याचिकाकर्ता - सुनील कुमार गोलहानी

बनाम

उत्तरवादीगण - छ0ग0 शासन व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिकाएं)

एकल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री

प्रस्तुत :- याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री गौतम भादुड़ी

शासन की ओर से अधिवक्ता श्री वाई. एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्र. 02 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल सहित अधिवक्ता श्री पंकज अग्रवाल।

प्रत्यर्थी क्र.03 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.आर. साहू

निर्णय

(दिनांक 03.02.2011 को प्रदत्त)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र.02 नगर पालिक निगम रायपुर को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए जाने की मांग की है और उत्तरवादी क्र.03 के संबंध में जारी नियुक्ति आदेश रद्द किए जाने का निवेदन किया गया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नगर पालिक निगम रायपुर (संक्षेप में "निगम") द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए थे। अन्य उम्मीदवारों सहित याचिकाकर्ता ने भी इस पद के लिए आवेदन भरा और साक्षात्कार में उपस्थित हुआ, साक्षात्कार में याचिकाकर्ता सफल रहा और आदेश दिनांक 17/11/1994 (अनुलग्नक P/1) के अनुसार उसने सरल क्रमांक 02 का स्थान प्राप्त किया जबकि उत्तरवादी क्र.03 का नाम सरल क्रमांक 04 के स्थान पर दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के सिवाय सभी व्यक्तियों को सेवा में संविलियन कर दिया गया जिसके लिए याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन दिये किंतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसी बीच आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के

पद पर उत्तरवादी क्रमांक 3 को नियुक्त किया गया जबकि (अनुलग्नक पी 01) आदेश दिनांक 17.11. 1994 में उत्तरवादी क्रमांक 03 का नाम याचिकाकर्ता के नीचे था।

4. इसके बाद याचिकाकर्ता ने म0 प्र0 उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2822/199 5 (सुनील कुमार गोलहानी बनाम मध्य प्रदेश शासन व अन्य) प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.08.1995 (अनुलग्नक पी-03) द्वारा उत्तरवादी क्र.03 (वहां पर प्रत्यर्थी क्रमांक 5) की नियुक्ति को स्थगित कर दिया। तत्पश्चात उक्त याचिका को न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.1997 (अनुलग्नक पी- 04) के निम्नलिखित टिप्पणी के साथ निराकृत किया गया:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" उत्तरवादी क्र. 01 के उपरोक्त रवैये को देखते हुए मैं इस स्तर पर मामले के गुण दोष पर विचार करने के पक्ष में नहीं हूं । राज्य सरकार इस मामले का 3- माह के भीतर अंतिम निर्णय करेगी, ऐसा करते समय विचार किया जाएगा कि मामले के याचिकाकर्ता के साथ अन्य उम्मीदवारगण सहित उत्तरवादी क्र. 05 जब तक राज्य शासन/ उत्तरवादी क्र 02 निर्णय नहीं ले लेता उत्तरवादी क्र 05 की नियुक्ति नहीं की जाएगी।"

05. इसके बाद , उत्तरवादी प्राधिकारी ने उत्तरवादी क्र 03 को नियुक्त न करने का निर्णय लिया। इसी दौरान , निगम ने विधि अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय किया, किंतु उक्त पद हेतु कोई नियुक्ति नहीं की गई। अचानक राज्य सरकार ने किसी भी नियुक्ति

हेतु बनाए गए नियमों का पालन किए बिना आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद की नियुक्ति के लिए उत्तरवादी क्र 03 का नाम निगम को अग्रेषित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर निगम के मेयर -इन- कौसिंल ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर उत्तरवादी क्र. 03 को नियुक्त करने का निर्णय लिया।

6. मेयर -इन- कौसिंल के प्रस्ताव के बाद निगम के आयुक्त ने राज्य शासन को दिनांक 11. 06. 2004 को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हेतु कोई पद मौजूद या सृजित नहीं है इस कारण उत्तरवादी क्रमांक 03 के पक्ष में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री के निजी सहायक ने आदेश (अनुलग्नक क्र- 19) द्वारा निगम के आयुक्त को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति के लिए एक पत्र लिखा। दिनांक 13.07. 2004 के आदेश द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं शहरी विकास विभाग के सचिव ने निगम के आयुक्त को उत्तरवादी क्रमांक 03 को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भादुड़ी ने तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 03 के पक्ष में नियुक्ति आदेश पारित करने के निर्देश छ.ग. नगर निगम अधिनियम 1956 (संक्षेप में "अधिनियम 1956") की धारा 58 (1) (i)(ii) एवं छ.ग. नगर पालिक निगम

(अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम 2000 (संक्षेप में "नियम 2000") नियम 08 के प्रावधानों के विपरीत है। उत्तरवादी क्र 03 पक्ष में पारित नियुक्ति आदेश अवैध एवं मनमानी पूर्ण तरीके से पारित किया गया है। आदेश दिनांक 17.11.1994 (अनुलग्नक पी - 1) में याचिकाकर्ता ने सरल क्रमांक 02 का स्थान पाया, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 03 का नाम सरल क्रमांक 04 के स्थान पर था। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना एवं बिना किसी उचित चयन प्रक्रिया के उत्तरवादी क्र 03 को नियुक्ति किया गया। इस प्रकार निगम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता सहित सभी पात्र उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के उचित अवसर से वंचित किया है, उत्तरवादी प्राधिकारी का यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री भादुड़ी ने आगे यह कहा कि, उत्तरवादी क्र 03 की नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन की ओर से प्रस्ताव पारित करने के निर्देश निगम को दिए जाने का कार्य पूर्णतया अवैध था। राज्य शासन को नियुक्ति के नियमों के विपरीत एक व्यक्ति विशेष को नियुक्त करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। निगम को एक स्वायत्तशासी निकाय होते हुए व्यक्ति -विशेष के पक्ष में नियुक्ति के लिए अन्य पात्र उम्मीदवारों को नजर अंदाज कर प्रस्ताव पारित करने से इंकार करना चाहिए था। श्री भादुड़ी ने आगे यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का नाम मूल चयन सूची में ऊपर व पहले था। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति किए जाने के लिए पहले उसके नाम पर विचार किया जाना चाहिए था।

9. दूसरी ओर शासन की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने तर्क दिया कि, उत्तरवादी क्रमांक 3 की नियुक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 18.05.2004 के आधार पर की गई थी जिसे मेयर –इन -कौसिंल ने पारित किया था । इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति वैध, सही एवं उचित है।

10. निगम की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज अग्रवाल ने यह तर्क दिया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद का सृजन कर राज्य शासन ने उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति हेतु निगम को निर्देश दिए। उत्तरवादी क्रमांक 03 के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की तिथि पर याचिकाकर्ता की आयु निर्धारित आयु से अधिक थी इस कारण याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार उतरवादी प्राधिकारी का कार्य न तो अवैध है और न ही मनमानी पूर्ण । श्री अग्रवाल ने आगे यह भी कहा कि नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की तिथि पर उत्तरवादी क्रमांक 03 अनिवार्य योग्यता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इसलिए याचिकाकर्ता किसी अनुतोष का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उत्तरवादी क्रमांक 03 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री साहू ने शासन एवं निगम उत्तरवादी क्र 02 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण के प्रस्तुत तर्कों का समर्थन करते हुए यह कहा कि विधिक प्रक्रिया का उचित पालन करते हुए उत्तरवादी प्राधिकार ने उत्तरवादी क्रमांक 03

की आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की है इस प्रकार मामले में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। और याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

12. मैनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों के तर्कों को सुनने के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं दस्तावेजों का परिशीलन किया।

13. सुनील कुमार गोलहानी, प्रमोद कुमार बघेल और नरेंद्र मिश्र को चयन के बाद निगम के आयुक्त द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की थी। उक्त आदेश में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 19.08.1960 और उत्तरवादी क्रमांक 03 की जन्म तिथि 15.11.1962 के रूप में दर्शित थी। निगम की स्थाई समिति ने राज्य शासन की मंजूरी से दिनांक 15.07.1995 के अनुलग्नक पी-12 के जरिए 6 माह की अवधि के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तरवादी क्रमांक 03 के नाम की अनुशंसा कर प्रस्ताव पारित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2822/1995 के तहत एक याचिका प्रस्तुत की । 30.08.95 के आदेशानुसार (अनुलग्नक पी - 03) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक 03 (वहां पर उत्तरवादी क्रमांक 05) की नियुक्ति को स्थगित कर दिया था। तदुपरांत दिनांक 11.03.97 (अनुलग्नक पी - 4) को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ निराकृत किया कि राज्य शासन याचिकाकर्ता के साथ

–साथ उत्तरवादी क्रमांक 03 (उत्तरवादी क्रमांक 05) सहित अन्य पात्र उम्मीदवारों के नाम पर मामले में तीन माह के भीतर विचार करेगी । आगे यह भी निर्देश दिया गया था कि अंतिम निर्णय होने तक उत्तरवादी क्रमांक 03 (वहां पर उत्तरवादी क्रमांक 05) की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

15. दिनांक 28.12.1995 (अनुलग्नक पी/5) को म. प्र. शासन के स्थानीय प्रशासन विभाग ने निगम को निर्देश दिया कि अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को 06 माह तक नियुक्त न किया जाय । क्योंकि चयन समिति ने चार नाम की अनुशंसा की थी और (अनुलग्नक क्रमांक पी /8) दिनांक 28.08.1997 में उत्तरवादी क्रमांक 03 का नाम सरल क्रमांक 4 के स्थान पर दर्ज है। मध्य प्रदेश शासन के स्थानीय प्रशासन विभाग ने निगम को यह भी निर्देश दिया कि उम्मीदवार की आयु की गिनती 03.02. 1992 से लेकर अगले वर्ष की पहली जनवरी तक की जाएगी और चयन प्रक्रिया में व्यतीत अवधि को उम्मीदवार की आयु में शामिल नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. दिनांक 10.04.1998 को निगम की स्थाई समिति ने निर्णय लिया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। क्योंकि नियुक्ति का मामला पिछले 7 वर्षों से विचाराधीन था और इस प्रकार 15.07. 1995 का निर्णय जिसके तहत समिति ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी क्रमांक 03 के नाम की अनुशंसा करने का प्रस्ताव दिया था जो की रद्द कर दिया गया। तदनुसार 17.04.1998 को (अनुलग्नक पी/12) मध्य प्रदेश शासन के स्थानीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को संसूचित

किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.05.1999 (अनुलग्नक पी/13) में निगम आयुक्त ने शासन के प्रमुख सचिव को सूचित किया कि यदि भविष्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया जाता है तो राज्य शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।

17. दिनांक 15.07. 1995 के प्रस्ताव के जरिए उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की सिफारिश /अनुशंसा के तथ्य, इसके बाद उक्त प्रस्ताव के रद्दकरण की सूचना पुनः स्थानीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को दिनांक 21.03.2003 (अनुलग्नक पी/14) को दी गई। दिनांक 25.01.2002 को (अनुलग्नक पी/15) निगम आयुक्त ने स्थानीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सूचित किया कि उत्तरवादी क्रमांक 03 के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा को पहले ही निरस्त किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 25.02.2004 (अनुलग्नक पी/16) को छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग रायपुर के विशेष सचिव ने निगम के आयुक्त को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति हेतु दिनांक 15.07.95 की प्रस्ताव के आलोक में नया प्रस्ताव पारित करने का निर्देश दिया तदानुसार निगम के महापौर परिषद द्वारा दिनांक 18.05.2004 को विशेष सचिव के निर्देश पर एक नया प्रस्ताव पारित किया गया था।

प्रस्ताव इस प्रकार पढ़ा जाए।

संकल्प: छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक 860 /1129/ 2000/ न. प्र. दिनांक 25.02. 2004 में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन में डॉ. नरेंद्र दत्त मिश्र को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. प्रस्ताव से स्पष्टतया इंगित है कि छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के ज्ञापन दिनांक 25.02.2004 को दृष्टि में रखकर प्रस्ताव पारित किया गया है।

20. वित्तीय योजना, वाणिज्य कर, सांख्यिकीय एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री के निजी सहायक ने निगम के आयुक्त को एक पत्र लिखकर उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति के संबंध में प्रकरण को स्वीकृत कर शीघ्र आदेश पारित करने को कहा गया। राज्य शासन ने

तदनुसार उत्तरवादी क्रमांक 03 की पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के पद पर नियुक्ति को मंजूर कर लिया। इसलिए यह याचिका प्रस्तुत की गई।

21. दिनांक 26.4.2006 को इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं शासन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद यह आदेश दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति इस रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगी।

22. अधिनियम 1956 की धारा 58 में निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का उपबंधित किया गया है। अधिनियम 1956 की धारा 58 की उप धारा (1) सहपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों तथा सेवा की शर्ते) नियम 2000 बनाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. नियम 2000 के, नियम 04 भर्ती के तरीके का प्रावधान करती है। अनुसूची iv के तहत स्वास्थ्य अधिकारी की शत प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती की जाएगी। नियम 2000 के नियम 8 में सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया संबंधी प्रावधान इस आशय से दिए गए हैं कि निगम आयुक्त द्वारा स्थानीय रोजगार कार्यालय को वेतनमान, योग्यताएं, पात्रता और इस पद हेतु विहित अन्य शर्तों को सूचित कर एक योग्य उम्मीदवारों की सूची मंगाएगा और कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर विहित समय सीमा और प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद आवेदनों की जांच एवं पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के प्रावधान है। तत्पश्चात नियुक्ति अधिकारी के निर्णयानुसार प्रतियोगी परीक्षा या मौखिक साक्षात्कार या दोनों आयोजित की जा सकेगी।

नियम 2008 का नियम निम्नानुसार है:-

सीधी भरती के लिए प्रक्रिया

(1) जब सीधी भरती से भरा जाने वाला कोई पद रिक्त हो तथा नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि रिक्त पद को निगम के हित में भरा जाना है तब आयुक्त, स्थानीय रोजगार कार्यालय को, उक्त पद के लिए विहित वेतनमान, अर्हताएँ, पात्रता तथा अन्य शर्तों के बारे में सूचित करेगा तथा पात्र अभ्यर्थियों की सूची मंगवायेगा। विहित प्ररूप में विहित समय-सीमा के भीतर आवेदन आमंत्रित करते हुए कम से कम दो स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, आवेदनों की संवीक्षा करेगा तथा रोजगार कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची को सम्मिलित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या मौखिक साक्षात्कार द्वारा या दोनों के द्वारा किया जाए।

(4) अभ्यर्थियों का चयन, अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जाएगा।

(5) चयन समिति, यथास्थिति, प्रतियोगिता परीक्षा या मौखिक साक्षात्कार या दोनों में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगी तथा ऐसी सूची में रिक्त पदों की संख्या से अभ्यर्थियों की संख्या दुगुनी होगी। यह चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची के अनुमोदन के पश्चात् उसका प्रकाशन किया जाएगा तथा ऐसी सूची, निगम में नियुक्ति के लिए उसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों।

(8) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इस मामले में उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 18.05.2004 के अनुरूप की गई थी जो की स्पष्टतया इंगित करती है कि प्रस्ताव दिनांक 25.02. 2004 (अनुलंग्नक पी/16) के पत्र के आधार पर पारित की गई थी। जो कि अधिनियम 1956 के धारा 58(1) के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत है ।

26. उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति का आधार ज्ञापन दिनांक 17.11.1994 (अनुलग्नक पी /1) थी, योग्यता के अनुसार चार व्यक्तियों की अनुशंसा की गई। जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सूची में सरल क्रमांक 02 एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 03 नाम सरल क्रमांक 4 स्थान पर दर्ज था । उस

समय याचिकाकर्ता की आयु कालबाधित नहीं थी जैसा की याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु दूषित थी।

27. सुनील कुमार गोलहानी (पूर्वोक्त) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक 03 (उत्तरवादी क्रमांक 05) के नाम की अनुशंसा में अंतर /भेद देखा और शासन की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता के दिए गए अभिकथनों के आधार पर सभी पात्र उम्मीदवारों के मामले पर 03 माह के भीतर विचार करने एवं उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति अंतिम निर्णय होने तक स्थगित किए जाने का निर्देश दिया गया। जो कि कभी भी नहीं किया गया। अंततः दिनांक 15.07.1995 को निगम द्वारा अनुशंसा के प्रस्ताव को बाद में रद्द कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. सभी पहलुओं को देखते हुए उत्तरवादी क्र 03 की नियुक्ति मनमानी पूर्ण,अवैध एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

29. उपरोक्त वर्णित कारणों से उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति रद्द की जाती है। उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति सुनील कुमार गोलहानी (पूर्वोक्त) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत है और इस आधार पर उत्तरवादी क्रमांक 03 के नियुक्ति आदेश भी दूषित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किए बिना उत्तरवादी क्रमांक 03 की नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 15.07.1995 के आधार पर नहीं किया जा सकता जो कि पश्चातवर्ती

प्रस्ताव दिनांक 18.07. 2004 (अनुलग्नक पी/17) का आधार था। आगे सुनील कुमार गोलहानी (पूर्वोक्त) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.1995 के अनुपालना हेतु 04 सप्ताह का समय दिया जाता है।

30. परिणामत: रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

31. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated by Astha sharma